दिनांक 4 अप्रैल, 1979

क्रमांक **368-ज(II)-79/16428.**—श्री रामकला, पुत्र श्री लहरी, गांव डीगल, तहसील झज्जर, जिला रोहतक की दिनांक 28 अप्रैल, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामकला को मुब्लिग 150 रुपए वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2400-र-III-69/16491, दिनांक 3 जुलाई, 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी अब उस की विधवा श्रीमती भगवानी देवी के नाम खरीफ़, 1978 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **345-ज(II)-79/16435.**—श्री श्योचन्द, पुत्र श्री नन्द लाल, गांव खुडन, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, की दिनांक 24 अगस्त, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्योचन्द की मुब्लिग 150 रु० वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6972-र-(III)-68/8473, दिनांक 21 अप्रैल, 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भगवानी के नाम खरीफ, 1978 से 150 रु० वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 13 अप्रैल, 1979

क्रमांक **469-ज(II)-79/17368.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरसकार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) 1(ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती भगवानी विधवा श्री उमराव सिंह, गांव कारोली, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को रबी, 1974 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है।

दिनांक 16 अप्रैल, 1979

क्रमांक **453-ज(II)-79/17468.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसाकि उस हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फ़सल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रुपय
1	रोहतक	श्री शिवनाथ, पुत्र श्री जुग लाल	भडंगी	झज्जर	रबी, 1975	150
2	,,	श्रीमती छन कौर, विधवा श्री श्योदान	मातनहेल	,,	रबी, 1973	150

दिनांक 17 अप्रैल, 1979

क्रमांक **471-ज(II)-79/17553.**—पूर्वी पंजाब युद्ध परस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री पोखर राम, पुत्र श्री सम्पा राम, गांव बडाल, तहसील हांसी, जिला हिसार को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है।